संख्या 1/16/1996–पी0 एंड पी0 डब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशनं और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली
दिनांक – 27 नवम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : कुटुम्ब पेंशन के लिए अमान्य अथवा अमान्यकरणीय विवाह से उत्पन्न बच्चों की पात्रता – संबंधित स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/16/96–पी.एंड पी.डब्ल्यू(ई), दिनांक 02.12.1996 का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि किसी दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के अमान्य अथवा अमान्यकरणीय विवाह से उत्पन्न बच्चों को नियम 54 (8) के अनुसरण में क्रम में उनकी बारी आने पर पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए जाएंगे। कार्यालय ज्ञापन के पैरा–4 में यह उल्लेख किया गया है कि "यह नोट किया जाए कि कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए उनका किसी भी तरह का कोई भी दावा नहीं होगा जब तक कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी इसकी प्राप्तकर्ता है।"

2. मामले की विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श में पुनः जांच की गई है। यह निर्णय किया गया है कि दिनांक 02.12.1996 के तत्रैव कार्यालय ज्ञापन के पैरा–4 के अधिक्रमण में, परिवार पेंशन में गैर–कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से उत्पन्न बच्चों का भाग, कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ–साथ, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उपनियम 7 (ग) के अन्तर्गत दिए गए तरीके से उन्हें देय होगा।

3. यह भी निर्णय किया गया है कि विगत मामलों में, पिछले लाभभोगियों से कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए। किसी अपात्र माता से उत्पन्न किसी दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के पात्र बच्चे/बच्चों से आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदनकर्ता (कर्ताओं) के तथ्यों और हकदारिता की सच्चाई के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवार पेंशन के विभाजन अथवा अन्यथा के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

4. जहां तक भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभागों से संबंधित पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद जारी किए गए हैं।

5. इसे विधायी विभाग के एफ टी एस संख्या 3036, दिनांक 17.12.2012 के अनुसार उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

6. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के आई.डी.संख्या 530/ई– v/2012, दिनांक 23.11.2012 के अनुसार उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

सोलंकी

(दर्शन कुमार सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 24644632

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय।
महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।